न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 65 / 2022 (GCMS No. 2022/124)

प्रार्थीनी :–

1. सजनी पत्नी फूसा
   जाति जाट निवासी बाण्ड तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जोगा पुत्र नगा
2. भेरा पुत्र नगा
3. जमना पत्नी रेखा
4. देवा पुत्र रेखा
5. नाथूराम पुत्र दुर्गाराम
6. आदूराम पुत्र पोकराराम
7. चूनी पत्नी पोकरा
8. ठाकरा पुत्र पोकरा
9. प्रताप पुत्र डूंगरा
10. धना पुत्र डूंगरा
11. उदा पुत्र डूंगरा
12. दाना पुत्र हरलाल
13. पूनमा पुत्र हरलाल
14. पुरखा पुत्र पोकरा
15. विश्ना पुत्र पोकरा
16. मोडा पुत्र लाभू
17. मोडा पुत्र सरदारा
18. ठाकरा पुत्र मोडा
19. अणसी पत्नी अमरा
20. केहरा पुत्र सेवा
21. चनणी पत्नी पूनमा
22. चेना पुत्र सेवा
23. जूंजा पुत्र गोरधन
24. जेठा पुत्र सगरामा
25. ठाकरा पुत्र सगरामा
26. धर्मा पुत्र सगरामा
27. मूलाराम पुत्र अमरा
28. वीरोदेवी पत्नी गोरधनराम
29. सालूराम पुत्र पूनमाराम
30. हडमान पुत्र पूनमा जा[illegible] निवासी बाण्ड
31. जेठा पुत्र पूनमा
32. भेरा पुत्र पूनमा
33. वीरमा पुत्र पूनमा
34. सजनी पत्नी पूनमाराम जाति जाट निवासी [illegible]ओलों की बेरी (बाण्ड) [illegible] नौखडा
35. जोगीदेवी पुत्री गोरधनराम पत्नी हडमानरा[illegible]जाति जाट निवासी उड[illegible]0 धोरीमना
36. सरूपा पुत्र डूगरा जाति जाट निवासी बाण्ड
37. तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:05:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

1. श्री रोशनलाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीनी
2. श्री डालूराम एवं श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 16.09.2022

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18 ता 22, 24 व 26 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का कोई लिखित जबाव/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वतः 2072–2076 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 420/1, 420/2 रकबा कमशः 1.6916, 4.8643 हैक्टेयर एवं मौजा लाला की बेरी के खेत खसरा नम्बर 883/370 रकबा 0.0405 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीनी विवादित भूमि की राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:05:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 420/1, 420/2 रकबा कमशः 1.6916, 4.8643 हैक्टेयर एवं मौजा लाला की बेरी के खेत खसरा नम्बर 883/370 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीनी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना आर. जी.टी. रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.9.22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:05:40 IST
Reason: SelfAttested